भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2795
12 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

ओडीओपी के अंतर्गत लाभार्थी

2795. श्री जी.एम. हरीश बालयोगी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा जिले में नारियल के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल के तहत लाभार्थियों की संख्या के साथ-साथ निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा जिले से नारियल की आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी व्यवधान की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो इस अंतर को पाटने के लिए अनुशंसित संभावित हस्तक्षेपों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा जिले से नारियल के लिए कोई कार्रवाई रिपोर्ट तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जिला निर्यात हब पहल के तहत निर्यात क्षमता के लिए डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा जिले से किसी नारियल/नारियल उत्पाद की पहचान की गई है; और

(च) यदि हां, तो उक्त उत्पादों के जिला निर्यात कार्य योजना से संबंधित ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन हेतु वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित- " प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" को लागू कर रहा है। यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2020-21 से 2025-26 तक के लिए चालू है । इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा वैयक्तिक सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना है। डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनसीमा जिला हेतु नारियल को एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के रूप में चिह्नित किया गया है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के तहत, डॉ. बीआर अंबेडकर कोनसीमा जिला में नारियल आधारित उत्पादों के लिए ओडीओपी में 6 ऋण स्वीकृत किए गए हैं । पीएमएफएमई योजना के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत लाभार्थियों, प्रशिक्षकों (मास्टर प्रशिक्षकों, जिला स्तरीय प्रशिक्षकों) और जिला संसाधन व्यक्तियों (डीआरपी) को खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास कार्यक्रम के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। डॉ. बीआर अंबेडकर कोनासीमा जिले के लिए में 31 अक्टूबर 2024 तक 102 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

(ख) और (ग): नहीं, महोदय। हालांकि, मंत्रालय जून, 2020 से केंद्र प्रायोजित-पीएमएफएमई योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण सुविधा के मौजूदा के उन्नयन या नई की स्थापना के लिए इच्छुक व्यक्ति/संस्था को 10 लाख तक की अधिकतम सीमा के साथ 35% की ऋण लिंक्ड सब्सिडी दे रहा है। एफपीओ/एसएचजी/सहकारी समितियों/सरकारी संस्थाओं द्वारा सामान्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थापना; एसएचजी सदस्यों को प्रारंभिक पूंजी; विपणन और ब्रांडिंग परियोजनाएं; और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से क्षमता निर्माण भी पीएमएफएमई योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार समर्थित हैं। यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2020-21 से 2025-26 तक चालू है।

(घ): नहीं, महोदय।

(ङ) और (च): जी हां। वाणिज्य मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा निर्यात हब जिला पहल के तहत कॉयर और कॉयर उत्पादों को निर्यात क्षमता वाले उत्पाद के रूप में पहचाना गया है और इसे जिला औद्योगिक और निर्यात संवर्धन समिति (डीआईईपीसी), डॉ. बीआर अंबेडकर कोनसीमा जिला द्वारा तैयार की गई मसौदा निर्यात कार्य योजना में शामिल किया गया है।

*****